राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 20(1)साप्र/2/18 **जयपुर, दिनांक :** 22/11/18

–: आदेश :–

श्री रामानन्द गौड़, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राज0 जयपुर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.18(1)साप्र/2/2011 पार्ट दिनांक 15.11.2011 द्वारा पंचम श्रेणी राजकीय आवास संख्या 5/132, गांधीनगर, जयपुर आवंटित किया हुआ है एवं वर्तमान में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.10.2018 द्वारा राजकीय आवास संख्या जी–767, गांधीनगर, जयपुर आवंटित किया गया है। श्री गौड़ ने राजकीय आवास में निवास करते हुए माह जून, 2015 में स्वयं का निजी आवास जयपुर में बना लिया है। श्री गौड़ ने आवंटित राजकीय आवास में साधारण किराया दर की तीन गुना किराया कटौती की लिखित सहमति दी है।

राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 नियम 9(4)(iii) के प्रावधान अन्तर्गत श्री रामानन्द गौड़, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राज0 जयपुर को आवंटित राजकीय आवास संख्या 5/132, गांधीनगर, जयपुर में दिनांक 01.06.2015 से साधारण किराया दर का तीन गुना किराया भुगतान किए जाने की शर्त पर निवास अवधि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.10.2018 द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या जी–767, गांधीनगर, जयपुर का कब्जा लेने की तिथि से साधारण किराया दर का तीन गुना किराया भुगतान की शर्त पर एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। पूर्व शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी.डी. पारीक)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार बकाया राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से किराया कटौती को सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, संपदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार बकाया राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. **अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (मुख्यालय) जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
11. **श्री रामानन्द गौड़, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास का बकाया किराया कटौती करवाया जाना सूनिश्चित करावें।**
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव